Production of Carbon Black

+ ∫ Shri R. C. Majhi: *1270. { Shri S. C. Samanta: ↓ Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state:

(a) whether the report of the Rumanian experts for the production of different grades of carbon black in India has been finally considered;

(b) if so, what decision has been taken;

(c) whether the market demand has been investigated; and

(d) when the work will commence?

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shab): (a) to (d). On examination of the preliminary report submitted by the Rumanian experts revised estimates have been called for with a view to consider how far the project can be economic. These are still awaited. The original estimates were too high and were therefore rejected. Estimated demand is 12,000 tons per annum at present.

Shri Shivananjappa: May I know whether it includes the manufacture of cinema carbon also?

Shri Manubhai Shah: It will also include reinforced carbon block, to some extent, the low grade cinema carbon and also the channel black, and all the black required for the tyres and the tubes.

हिमाचल प्रदेश में भुमि का वितरण

*१२७१. श्री पद्म देवः क्या योजना मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जमींदारी उभ्यूलन एक्ट के ग्रन्तवंत निर्धारित प्रविकतम सीमा के परिणामस्वरूप बची हुई प्रृमि बांट दी गई है; (च) वदि हां, तो किस माधार पर; मौर

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

भम और रोजगार तथा योजना संत्री के सभा-सचिव (थी ला० गा० भिक्ष) (क) से (ग). सुप्रीम कोट म एक्ट की वधता को जुनौती देनको प्रजियां दाखिल की गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध में सरकार को जमीदारों की सम्पत्ति लेने की कोई कार्रवाई न करन का मादेश दिया है। इमलिए हिमाचल प्रदेश एक्ट के प्रन्तगंत निर्धारित सीमा से प्रधिक किसी भी जमीदारी या क्षेत्र को प्रभी तक नहीं लिया गया है।

[(a) to (c). Writ petitions challenging the validity of the Act have been filed in the Supreme Court which has passed stay orders restraining the Administration from taking possession of the properties of the landlords. No estates or areas in excess of the ceiling fixed under the Himachal Pradesh Act have, therefore, been taken over so far.]

भी पद्म देव : नया यह दुरस्त है कि इस ऐक्ट के पारित होने के पत्र्वात बद्धत सारे काश्तकार बजाय भूमि मिलने के भूमि से निष्काधित किये गये हैं और वे भूमिहान हो गये है?

भी स॰ ना॰ मिभाः मुझे तां ऐसी कोई मूचनानहीं है।

Shri Sadhan Gupta: May I know what amount of land is covered by the writ petitions filed in the Supreme Court, and whether all the landlords have filed or only some have filed writ petitions?

Shri L. N. Mishra: The validity of the whole Act has been challenged, and there are stay orders against all actions. 9499 Oral Answers

9500

श्री वाजयेयी : भूमि का पुनर्वितरण करते समय क्या उन कुककों का भी घ्यान रक्ला जायगा जिनके कि खेत जमीदारों ने छीन लिये हैं?

भी म० ना० निश्रः यह तो सिदाल को बात है। हर एक सूबा प्रयते घरने तरीके का विदेयक बतायेगा भौर उसके प्रनुवार म्रमल किया जायगा।

भी वाजपेगीः मेरानिवेदन हैकि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्यानीति है क्योंकि हिमाबल प्रदेश तो केन्द्र के ग्राघोन है?

श्री ल० ना० मिश्रः : यदि माननीय सदस्य इस विघेयक को देखने की क्रुपा करेंगे तो वे समझ जायेंगे कि हम किस तरह से उस सरप्लस जमोन को बांटना चाहते हैं।

Shri Yadav Narain Jadhav: May I know for how long the writ petitions are pending in the Supreme Court?

Shri L. N. Mishra: They have been pending since 1958.

श्री पद्म देव : इस प्रधिनियम के पारित होने के पञ्चात् कितने काश्तकार भूमि से बेदखल किये गये हैं, कितने भूमिहीन किये गये हैं?

श्री ल० ना० मिश्वः मुझे इस की सूचना नहीं है।

श्री दो० खं० झर्माः क्या माननीय मंत्री यह बतलाने को क्रुपा करेंगे कि इस एक्ट की बजह से कितनी भमि सरप्लस बन गई है?

भी स॰ ना॰ सिश्व ः उसके भांकड़े भ्रमी तक इकट्ठा नहीं किये हैं क्योंकि कानून बना मौर वह सुप्रीम कोर्ट में कैनेंज हो गया है इ.सलिये यह भ्रांकड़ें इकट्ठा नहीं किये जा सके हैं।

भी रामसिंह स. का का भीमन यह बतलाने की कुपा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बारा स्टे झार्डर देने के पहले कितनी जमीन जमींदारों ने किसानों से छोन कर घरने कब्बे में कर लो है घौर जिनको इस तरह बेदखन किया गया है क्या उनको उनको जमीनें वापिस दिलवायो जायेंगी ?

भ्यो ल० ना० निश्व : इसके प्रांकड़े मेरे पास नहीं हैं कि कितनी जमीन किसानों से इस तरह जमीदारों ने खोन ली है घीर जहां तक उन बेदलल हुए किसानों को जमीनें वापिस देने का सवाल है यह भी बताना कठिन हैं क्योंकि जैसे मैं ने बताया ऐक्ट बैंगेंज होगया है घीर दूसरे यह हर एक सूबे के ऊपर है कि वह किस सिद्धाल पर प्रपना ऐक्ट बनाता है घीर उस पर प्रमल करता है।

Shri Sadhan Gupta: May I know whether Government have submitted their reply to the writ petitions filed in the Supreme Court, and if so, what other steps are being taken to have the matter expedited?

The Deputy Minister of Planning (Shri S. N. Mishra): What is the question of the hon, Member?

Mr. Deputy-Speaker: He wants to know whether Government have filed their reply or not. That is the only part of the question that can be answered. Other steps cannot be there so long as the case is before the Supreme Court.

Shri L. N. Mishra: We have replied already.

Shri Sadhan Gupta: There can be an application for expediting it.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's question is whether the reply on behalf of Government has been filed, and when it was filed.

Shri L. N. Mishra: The hon. Member might be aware of the whole story. The first stay order was issued. . .

Mr. Deputy-Speaker: The only question is whether the reply has been filed.

Shri Sadhan Gupta: Government can mention it and have the matter expedited. 9501 Oral Answers CHAITRA 15, 1882 (SAKA) Oral Answers 9502

Shri L. N. Mishra: The reply has been filed.

बी पद्म देव : माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि सन् १९४४ में यह ऐक्ट पास हो गया था धौर तब से घभी तक सिवाय इसके कि जागोरदारों को एक बेतादनी दी गई है वे काश्तकारों को बेदखल न करे और कुछ नहीं किया गया भौर उस बेतावनी का भी कोई खास फायदा या प्रसर पहुंचा हो ऐसा-नहीं मालूम पड़ता क्योंकि काफी काश्तकार उसके बाद से बेदखल किये गये हैं?

भी ल०ना० सिभाः यह कानून ही इपमल में नहीं लाया जा सका है क्योंकि बनते इंडी वड चैलेंज हो गया है।

श्री पद्म देव : उपाघ्यक्ष महोदय, मैं केवल एक .

Mr. Deputy-Speaker: This cannot be answered, when the whole thing is before the Supreme Court. The Act itself has been challenged. So, what should Government do?

भी पद्म देव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक दात जाननां चाहता हूं। मंत्री महोदय को शॉयद यह मालुम नहीं है...

उपाञ्यक्ष शहोबयः ध्रव जो बात उन्हें मालूम नहीं है उसको वह थ्या बता सकते हें धौर फिर प्राप उसको जानते भी हैं।

भी पद्म देवः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक बात.....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Next question.

Selected Works of Maulana Azad

•1274. Shri A. M. Tariq: Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to publish selected works of Maulana Abul Kalam Azad in the near future;

(b) if so, what are they; and

(c) when it is proposed to bring them out?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Information and Broadcasting (Shri A. C. Joshi): (a) to (c) There is no proposal in hand at present.

भी घट मुठ तारिकः मैं वजीर इत्तला-घात व नशरियात से जानना चाहता हूँ कि क्या यह हकीकत है कि मौलना साहब की वफात से लेकर प्रव तक जितने एडवर--टाइजमेंट पबलिकेशन डिवीजन के शाया हुए हैं, उननें मौलाना साहब का कोई जिक नहीं होता? इसकी क्या वजह है, जब कि उनके देवलिकेशन्स मौजूद है भीर उन्होंने खापे है?

[شی ع - م - طارق : مهں وزیر اطلاعات و نشریات ہے جانلا چاھتا هوں که کها یه حقیقت ہے که مولانا صاهب کی وفات ہے لے کر اب تک جقلے انڈررڈائزمیلت پبلیکھش ڈریزن کے شائع هوئے ههی ان مهی مولان کے کہا وجه ہے - جب که ان کے پبلیکیشاس پر جود ههی اور انہوں نے چھائے ههی -]

डा॰ कैसकर : मैं एकदम तो नहीं बता सकता कि इत्तहारात में उनका नाम थों नहीं प्राता, हो सकता है कि उनकी जो किताब खपी हो बह घाउट प्राफ शिंट हो गयी ही। हमारे यहां तो उनकी दो किताबें खपी हैं। मैं इस बारे में तहकीकात करूंगा।

Shri A. M. Tariq: I am sorry to say that it is not a fact that the books are not available. Books are available. . .

Mr. Deputy-Speaker: He may ask a question.

Shri A. M. Tariq: I would like to know whether it is the policy of the Ministry or the management of the Publications Division not to mention Maulana Azad's name when they have got those books in hand.